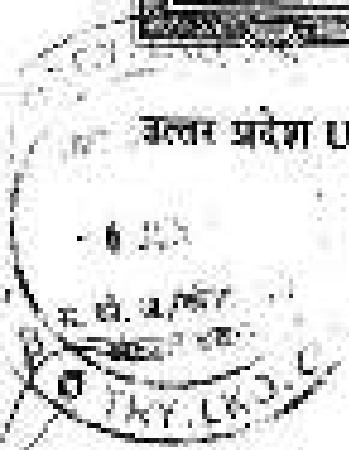


61/64

24/12/86



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

05/1987



विक्रय विलेख

मूल्य मुल्य : ₹ 40,52,075/-
 बचत नुल्य : ₹ 23,74,900/-
 लाभ मुल्य : ₹ 4,05,300/-
 परगना : विजनीर

सह विक्रय विलेख सेवा राम पुत्र बुद्धा, निवासी

पुनपुन नगर धुसवल, परगना विजनीर, तहसील व जिला



Handwritten notes at the top of the page, including "960" and "1000".

Handwritten notes in the middle section, including "1000" and "1000".

Handwritten notes below the middle section, including "1000" and "1000".

श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

निम्नलिखित लेखक जय शंकर व आश्रम मजदूर
 श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय



Handwritten signature or note on the right side of the page.



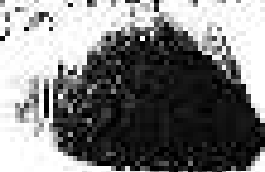
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

051988

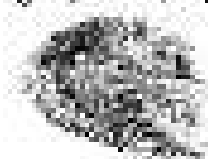
- 2 -

लखनऊ जिले आने विहारेला कला गया है, एवम् बिन्दा पुत्र
आगेरवाट कोटी निवासी-ग्राम पिर्जापुर मिटारी, पोस्ट-नीगाँव,
जिला फतेहपुर, जिले आने क्रोता करत गया है, के मारा निष्पादित
किया गया।

जि. लखनऊ



जि. बिन्दा



भारत सरकार, लखनऊ

दिनांक १०/१०/५५

श्री १००३३

श्री १००३३

श्री १००३३

श्री १००३३

प्रति श्री १००३३

श्री १००३३

श्री १००३३

श्री १००३३

श्री १००३३

श्री १००३३

श्री १००३३

श्री १००३३

श्री १००३३

श्री १००३३

श्री १००३३

श्री १००३३

श्री १००३३

श्री १००३३

श्री १००३३

श्री १००३३

श्री १००३३

श्री १००३३

श्री १००३३

१०/१०/५५

१०/१०/५५



प्रमुख गुरु शालाओं के निवास

अपने निवासों पर लिखे गये हैं।

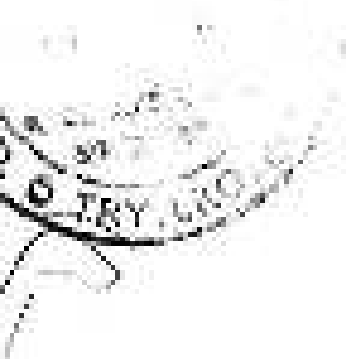
१०/१०/५५

१०/१०/५५



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

051989



- 3 -

यह कि विव्रोता भूमि खलरा नं० 242 रकबा 2.159 हेक्टेअर
स्थित ग्राम गुलापपुर नगर मुख्यालय, परगना-मिर्जापुर, ताहसील व
जिला, लखनऊ के मानिक, कामिल व कानिज है तथा स्थापित

मिर्जापुर

मिर्जापुर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

05/1990

- 4 -

षट्षाधिक खाता खतीनी क्रम संख्या 00223 के अनुसार विक्रेता
को नाम का अमल दशम्वद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता
अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा गिजान्य

दि ३१ मार्च १९९०

दि ३१ मार्च १९९०



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

05/1970

TRY

5

कट रहा है विवेचना उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कानून व
कायदा है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह
कि विवेचना यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी

श्री ११ सुन्दरानि

श्री ११ सुन्दरानि



051971

- 5 -

प्रकार के भारी से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रंता ने उसे
हल विद्युत के पूर्व कड़ी गड, हिमा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि
नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी

6/1/81 लिखा
[Signature]

6/1/81 लिखा
[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

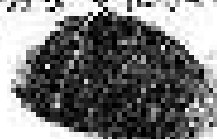
051972



- 7 -

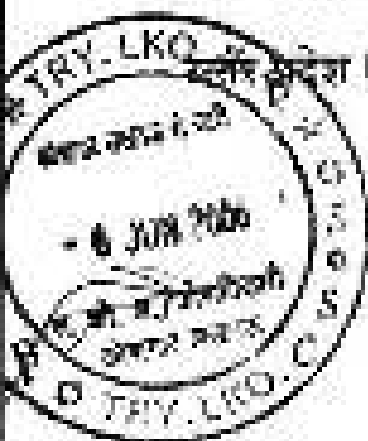
न्यायालय या सरकारी कार्यावाही के अर्जागत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। गिरजा के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं

निष्कर्ष



निष्कर्ष





जिला न्यायालय UTTAR PRADESH

051973

- 8 -

है, एवं विक्रेता को उक्त विवरण अन्तर्गत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त राशियों के फलस्वरूप रा० 40,52,875/- लिखित बिलान्स जाच बकाया हज़ार आठ सौ

जिला न्यायालय

जिला न्यायालय



051974

- 2 -

पंचसलर लमबा) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त केंद्र द्वारा
विशेषता की हल मिलेला के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि
के अनुसार गुगलान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति की

दिनांक १०/१२/७४

दिनांक १०/१२/७४



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

051976

- 11 -

दिया है, एवं विकेला ने विजयशुभा भूमि का सीके पर कब्जा सेना
को बख्शी करा दिया गया है। अब उक्त आराधनी पर विकेला तथा
उक्तले वादिराज का कोई अधिकार नहीं है। विकेला ने विजयशुभा

उक्तले वादिराज

उक्तले वादिराज



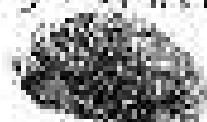
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

05/1977

- 12 -

राज्यपालि को अपने स्वामित्व में समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया
व हमेशा के लिए जेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब जेता
निकरामादा राज्यपालि एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र

निष्कर्ष



निष्कर्ष



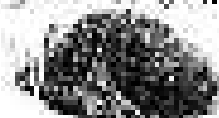
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03/1978

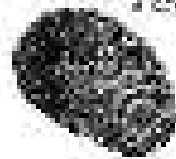
- 11 -

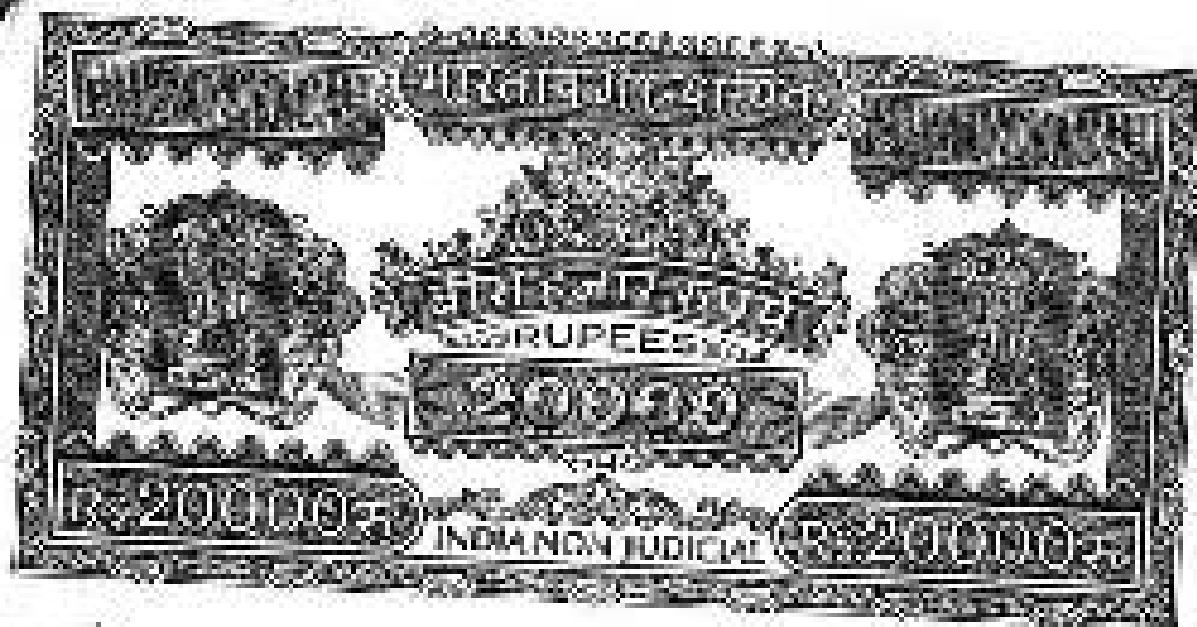
स्वान्वित व अधिकार व कब्जे से सम्बन्धित छे तब से धारण एवं
उत्पन्न व उत्पन्न करेंगे। विशेषता तबसे किसी मालक की अधिकार
क्या नहीं छल सक्ती एवं न ही कोई माग कर सक्ती। और यदि

ॐ श्री गुरुभ्यो नमः



मि. वि. वि.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

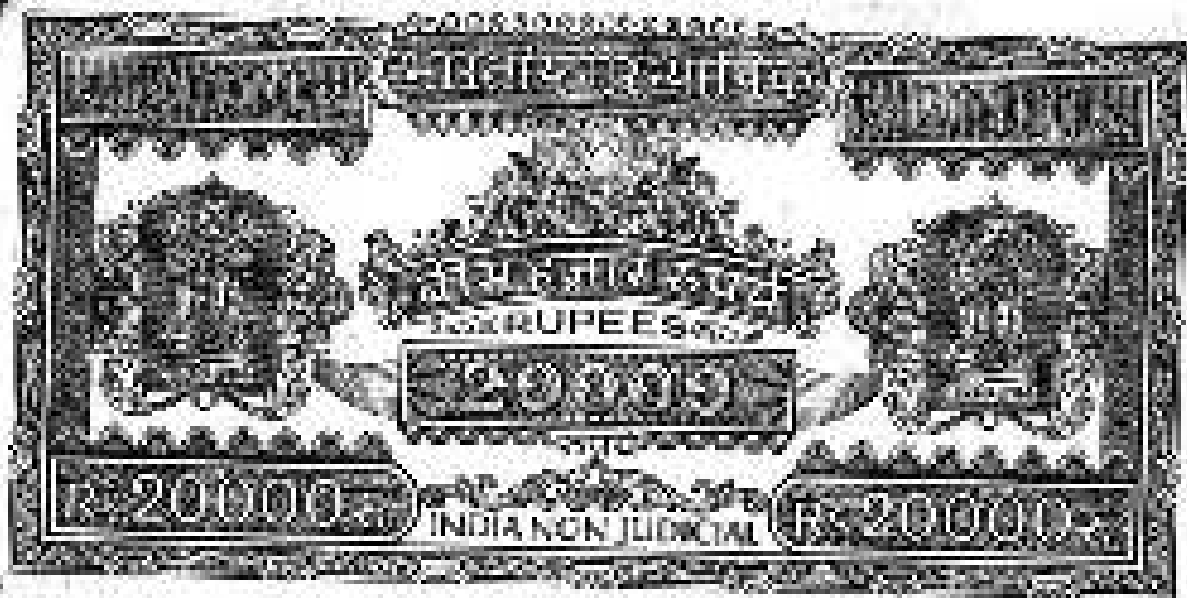
051979

- 14 -

वित्तपुरुष सम्पत्ति अथवा कोई मांग विवेका से जागृति में बुद्धि
के कारण या यत्नशील अथवा या यत्नशील बुद्धि के कारण होता या
उसके मारिस्तान निष्ठावत्तम हाथों के कर्तव्य या अधिकार या

निष्ठावत्तम

निष्ठावत्तम



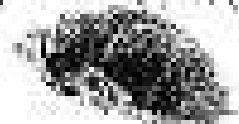
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

051980

- 15 -

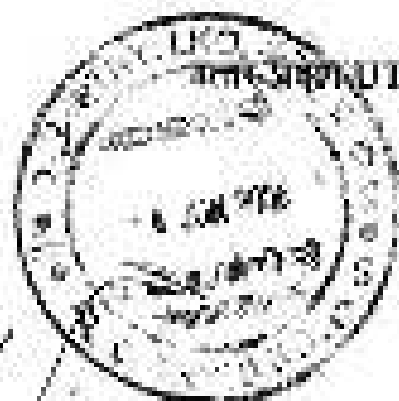
स्वयं से निकल आये तो सेवा उसके बादिसान, निष्पादन
इत्यादि का रख रक्क होगा कि वह अपना समस्त नुकसान नय
हर्जा व खर्चा, निष्केता की नल, अथवा सम्पत्ति से जरिये अवाता

निर्देश देकर



निर्देश देकर





उत्तर प्रदेश

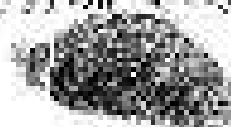
051987

- 18 -

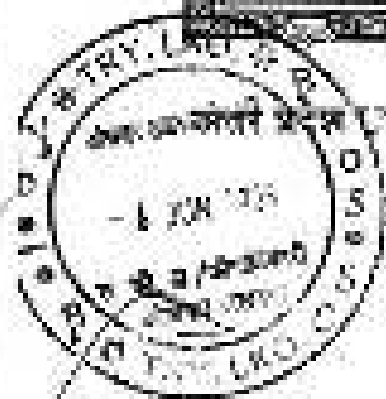
बसल कर ले। उस स्थिति में विवेका एवं उसके परिवार को भी व

खर्च देने हेतु बाध्य होगा।

दिनांक २०/०५/८७



दिनांक २०/०५/८७



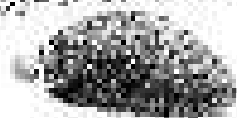
UTTAR PRADESH

051983

- 18 -

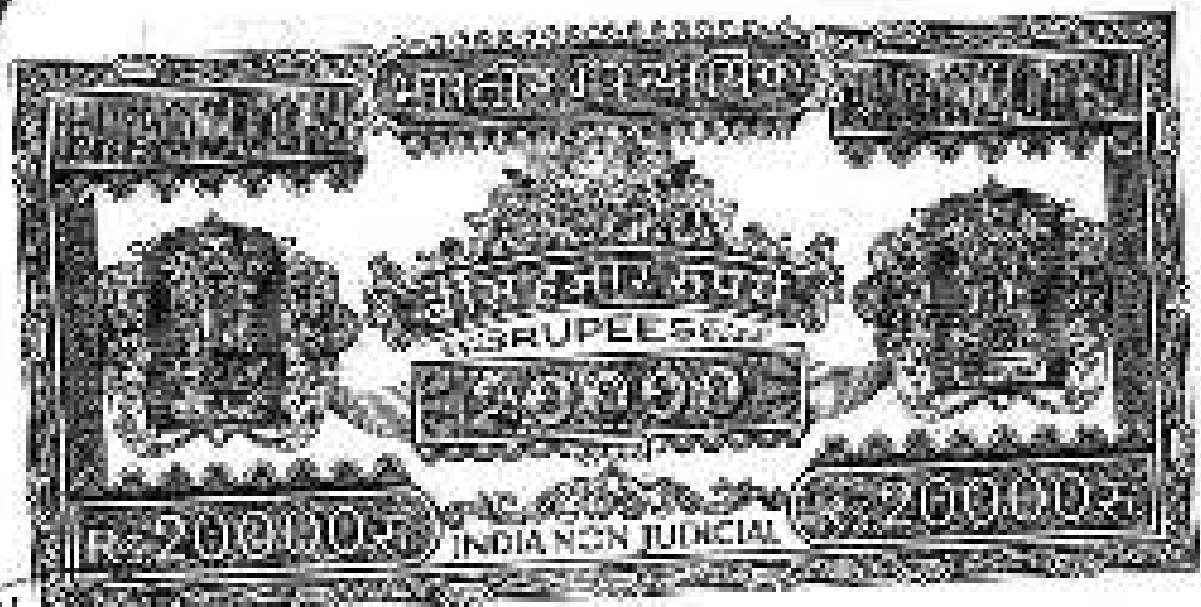
कोई कलाया किसी तरह का भार हरा सम्पत्ति पर होगा तो
उसको सिलेता मुज्जान व दान करने, सिलेता को कोई कलाया
न होगी।

सिनेता



सिनेता





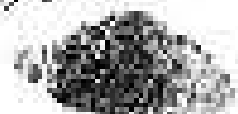
भारत प्रदेश BHARAT PRADESH

051984

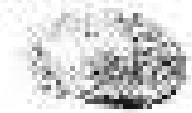
- 19 -

यह कि उम्मीदवार उसका गन्तव्य जाम दुरुपकार नगद पुनर्प्राप्त,
अर्धवार्षिक क्षेत्र के निर्धारित जाम के अन्तर्गत आता है इसलिए
निर्धारित सहायता के रु 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब
से विवरित गृमि 2.159 हेक्टेयर की मासिकता रु 23,74,900/-

प्रजापति



प्रजापति





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

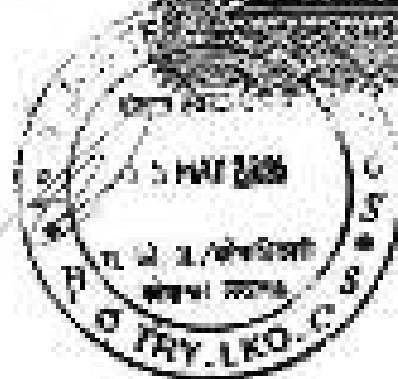
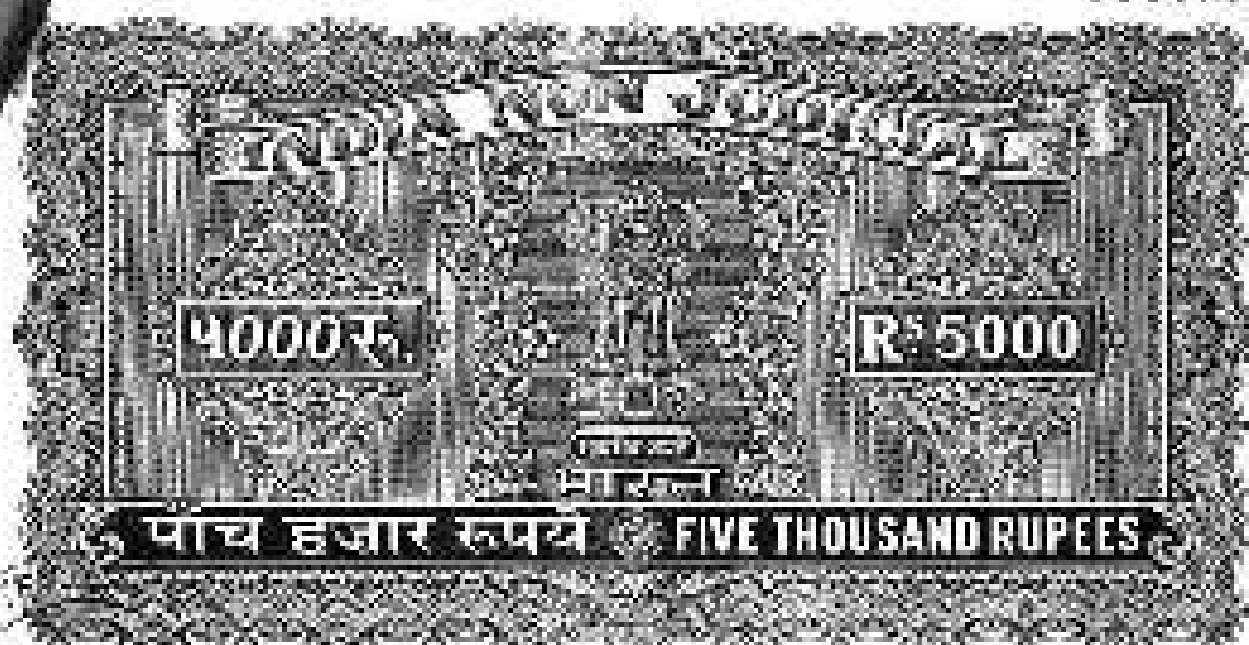
031985

- 20 -

होती है, चूंकि निकास मूल्य भूमि का बजार मूल्य से अधिक है इसलिए निलमानुसार विक्रय मूल्य पर ही ₹ 4,25,300/- कागज कागज अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए सज्ज हो जा रही है। इस भूमि में कोई कच्चा, निकास, निकास

निकास, निकास

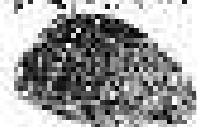
निकास, निकास



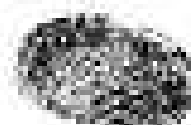
59752

-21-

तलाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मीटर के अर्धवृत्त में कोई निर्माण नहीं है। विहीत भूमि किसी भी प्रकार, राजस्वों व जनपदीय मग्न पर स्थित नहीं है। विहीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग दो किलोमीटर से अधिक न गहरा गड से 200 मीटर से अधिक दूरी पर है।



दि. 10/05/08

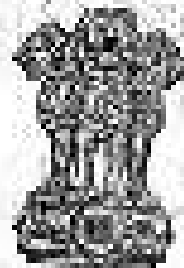


भारतीय नगर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 21 -

अधिक दूरी पर लिखा है। विवेका व तर्का दोनों अनुसूचित जाति
के सम्बन्ध हैं। इस विषय विवेका के विवेका का सम्बन्ध व्यव
स्था द्वारा बहुत किया गया है।

विषय विवेका

विषय विवेका



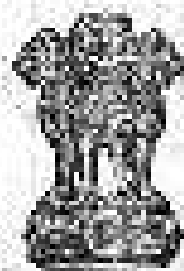
ॐ नमः शिवाय

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21

लाला नं० 242

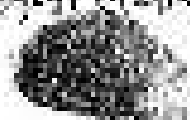
जलार : लाला संख्या-238, 239, 240, 241

प्रमाण : लाला संख्या-243, 244, 245, 246, 247

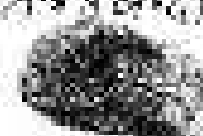
पुल : लाला संख्या-266, 268, 269, 270

परिमल : लाला संख्या-109, 162

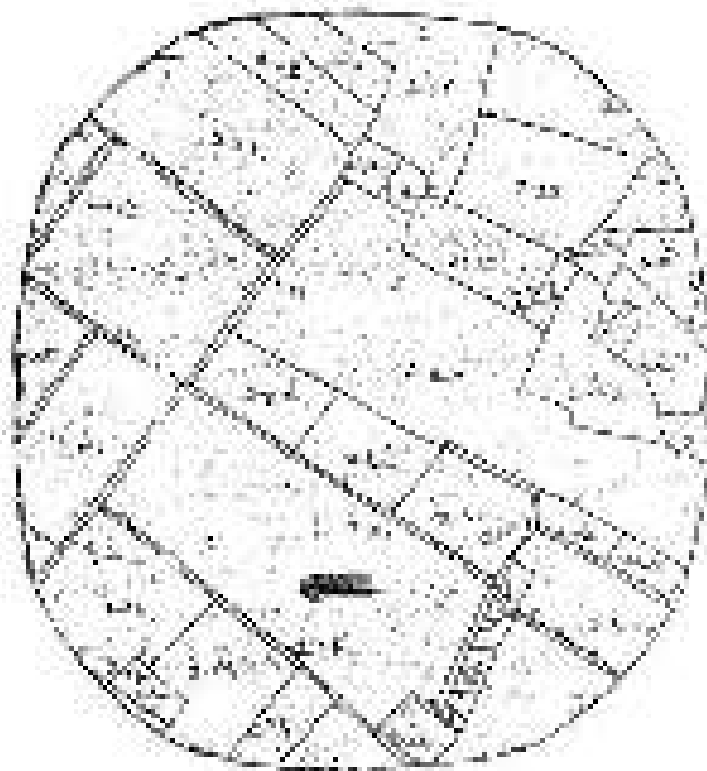
लाला संख्या



लाला संख्या



$f(x) = 2.57 \cdot 2^x$
 $f(0) = 2.57 \cdot 2^0 = 2.57$



निम्न

Ans: $\frac{1}{2} \ln 2$

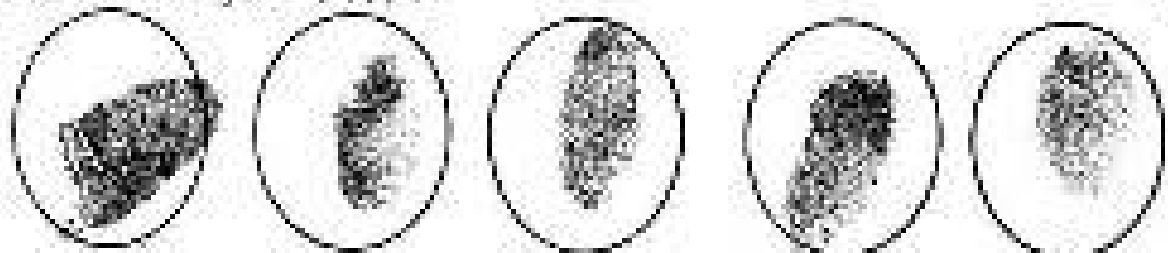
22

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा - 32 (3) के अनुपालन हेतु रिजिस्ट्रार प्रिजेंटर्स

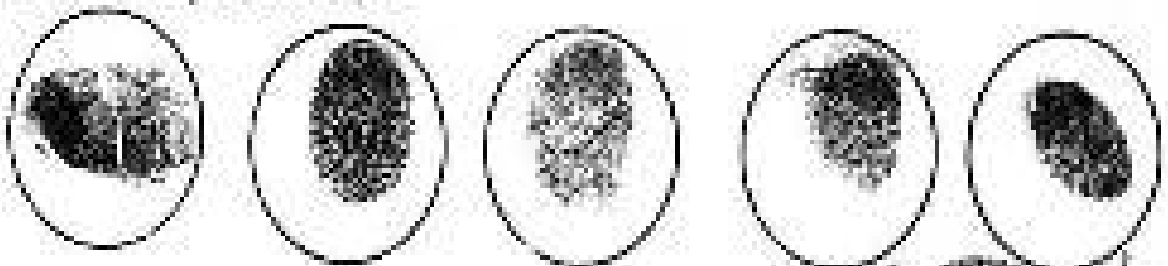
पंजीकृत/रजिस्ट्रार नाम व पता :- दिनांक 2024 मुद्रा/सहस्र 2024

सर्वेक्षण की गई अवधि के दिनांक :-

(सहस्र)



पंजीकृत/रजिस्ट्रार की अवधि के दिनांक :-

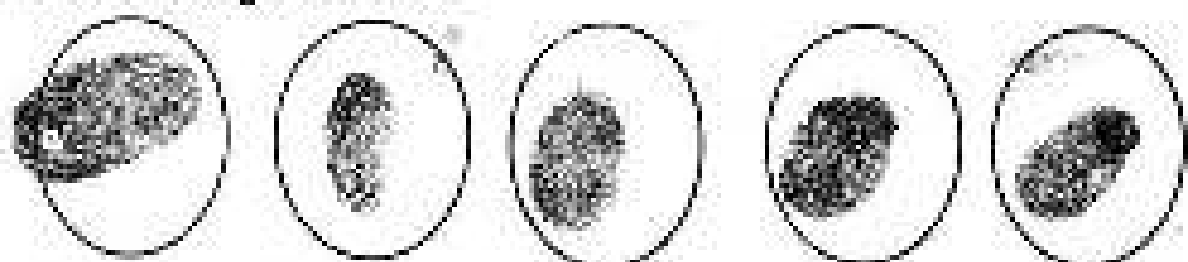


519.

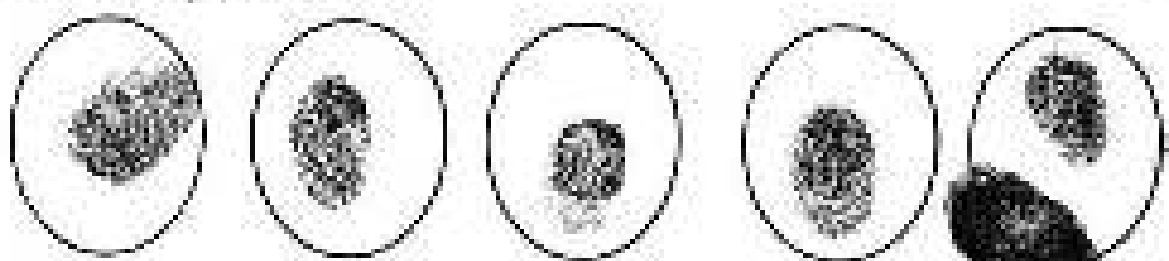
दिनांक 2024

पंजीकृत/रजिस्ट्रार नाम व पता :- दिनांक 2024 मुद्रा/सहस्र 2024

सर्वेक्षण की गई अवधि के दिनांक :-



पंजीकृत/रजिस्ट्रार की अवधि के दिनांक :-



दिनांक 2024
 पंजीकृत/रजिस्ट्रार के द्वारा

सी
 मा
 र

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 6. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 7. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 8. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 9. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 10. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

